POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 14.06.2025

1. थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के उपरान्त हत्या के आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र व ठगी किये गये भारतीय/विदेशी करेंसी, एक चोरी की मोटरसाईकिल एवं घटना में प्रयुक्त अन्य सामान बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा दिनांक **14.06.2025** को सेक्टर-54 मे एलिवेटिड के नीचे पिलर न0 पी 94 के पास फेस 03 की तरफ जाने वाले रोड पर चैकिंग की जा रही थी कि तभी एनटीपीसी की तरफ से एक मोटरसाईकिल पर सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये, जिन्हे पुलिस बल द्वारा रूकने का इशारा किया तो वह नहीं रूके बल्कि मोटर साइकिल मोडकर भागने लगे। शक होने पर पुलिस बल द्वारा पीछा किया गया तो अपने आप को घिरा देखकर बदमाशों द्वारा पुलिस बल के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्यवाही में फायर किया गया जिसमें दोनो व्यक्ति घायल हो गये। घायल बदमाशों की पहचान 1.मुकुल शर्मा पुत्र अजय शर्मा नि0 वंसुन्धरा सेक्टर-01 थाना इन्द्रापुरम जिला गाजियाबाद मूल पता ग्राम घिटौरा थाना लोनी जिला गाजियाबाद 2.आकाश उपाध्याय पुत्र स्व देवदत्त उपाध्याय नि0 टाईप 2 बी सेक्टर-20 नोएडा मूल पता नरैइया पुरा थाना फूल पहाड जिला महोबा उत्तर प्रदेश के रूप में हुयी है। गिरफ्तार/घायल अभियुक्तगण मुकुल शर्मा व आकाश उपाध्याय उपरोक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

अभियुक्तों के कब्जे से एक पिस्टल .32 बोर, एक खोखा कारतूस .32 बोर, 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर, एक तमन्चा .315 बोर एक खोखा कारतूस .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर, चोरी की एक मोटर साईकिल, दो बैग जिसमे ठगी किये गये भारतीय व विदेशी करेंसी (जिनकी कुल भारतीय कीमत 10 लाख 30 हजार रूपये लगभग) घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा पहने गये कपडे जिसमे एक जीन्स पैन्ट मय बैल्ट, एक कमीज, एक लोअर, एक टी-शर्ट व दो मोबाईल फोन बरामद हुए है।

थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के उपरान्त गिरफ्तार/घायल अभियुक्तों के द्वारा दी गयी जानकारी पर अन्य दो साथियों 1. अजय कुमार शर्मा उर्फ अजय कुमार अग्रवाल उर्फ अज्जू पुत्र स्व0 ऋषिपाल शर्मा को उसके निवास स्थान वसुन्धरा जिला गाजियाबाद से तथा अभियुक्त आर्यन यादव पुत्र प्रदीप कुमार यादव को मोरना बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तो द्वारा जानकारी दी गयी कि ये लोग ठगी करने के लिये सर्वप्रथम ऐसे फॉरेन करेंसी एक्सचेन्ज करने वाले दुकानदारों को खोजते हैं जो आसानी से भारतीय रूपयो के बदले फॉरेन करेंसी देने पर राजी हो जाते थे। फिर ये लोग ऐसे मकान को ढूँढते थे जहाँ टू-लेट का बोर्ड लगा रहता था। वहाँ जाकर मकान मालिक से बात करके मकान किराये पर लेने की बात करके कुछ रुपये टोकन के रूप मे मकान

मालिक को दे देते थे, फिर उसी मकान को फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने वाले दुकानदार को अपना मकान बताते थे एवं उसी किराये के मकान पर उसको बुला लेते थे। दुकानदार को यकीन दिलाने के लिये ये दोनो अभियुक्तगण अपने पास भारतीय रूपये रखते थे। जिसे दिखाकर वो दुकानदार का यकीन जीतते थे कि इसके बदले मे उनको फॉरेन करेंसी चाहिए। दुकानदार द्वारा फॉरेन करेंसी लेकर मकान के अन्दर आते ही यह लोग असलहे के बल पर उनसे फॉरेन करेंसी तथा दुकानदार के पास से भारतीय रूपये लेकर भाग जाते थे। रैकी करने व काम को अन्जाम देने के लिए ये लोग चोरी की स्कूटी का प्रयोग करते थे।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त मुकुल शर्मा पुत्र अजय कुमार शर्मा नि0 गाजियाबाद व अभियुक्त आकाश उपाध्याय पुत्र स्व देवदत्त उपाध्याय निवासी नोएडा ने पूछताछ मे बताया कि इन्होने अपनी चोरी की स्कूटी से मृतक ओमपाल भाटी की दुकान सेक्टर-18 साईं फोरक्स ओशन प्लाजा की रेकी की थी, फिर मृतक ओमपाल भाटी से मोबाईल से संम्पर्क करके उसको बताया कि हमें लगभग 7 लाख भारतीय रूपये के बराबर कनेडियन करेंसी की आवश्यकता है। मृतक ओमपाल भाटी को यकीन दिलाने के लिये अभियुक्त आकाश उपाध्याय ने लगभग 03 लाख भारतीय रूपये बैंक से अपने एकाउन्ट से निकालकर अपने पास नकद रखे थे, दोनो अभियुक्तो ने घूम कर मकान न0 डब्ल्यू 12 सेक्टर-12 थाना सेक्टर-24 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर मे टू-लेट का बोर्ड देखकर वहाँ मकान मालिक से घटना से एक दिन पूर्व दिनांक 10.06.2025 को संम्पर्क कर मकान किराये पर लेने की बात कही थी। अगले दिन दिनांक 11.06.2025 को मकान पसंद आने की बात कहके मकान मालिक को एक हजार रूपये टोकन दे दिए, परन्तु कोई भी आधार कार्ड या अन्य कोई परिचय पत्र नही दिया गया था। उसके बाद ये लोग इसी मकान पर रूक गये थे, फिर इन्होने मृतक ओमपाल भाटी से जरिये मोबाईल संम्पर्क करके इसी मकान का पता देते हुए मृतक ओमपाल भाटी को लगभग 07 लाख भारतीय रूपये की कीमत की, कनेडियाई करेंसी के साथ बुलाया। ओमपाल भाटी के मकान पर आते ही उसे केश भारतीय रूपये दिखाये गये तथा फॉरेन करेंसी देने की पेशकश की तथा ओमपाल भाटी के फॉरेन करेंसी दिखाते ही इनके द्वारा ओमपाल भाटी से असलाह के बल पर रूपयों की छीना छपटी की गयी तथा ओमपाल भाटी को अपने ऊपर भारी पडता देख इनके द्वारा उसे गोली मार दी गयी थी तथा मौके पर अपनी स्कूटी छोडकर पैदल ही भाग निकले।

इन घटनाओं में मुकुल शर्मा के पिता अजय कुमार शर्मा उर्फ अजय कुमार अग्रवाल उर्फ अज्जू भी सम्मिलित रहते थे, जो पूरी ठगी की प्लानिंग करते थे। इस घटना के बाद इनके द्वारा पिता अजय शर्मा को फोन करके बताया गया कि हमेशा की तरह इस बार जहाँ घटना को अंजाम देने गये थे, वहाँ एक बडी घटना हो गयी और पैसों की छीना झपटी में सामने वाले की गोली लगने से हत्या हो गयी। इस पर इनके पिता के द्वारा इन्हें गाइड किया गया कि तुम लोग अपने दोस्त आर्यन के दिल्ली वाले फ्लैट पर चले जाओ और फिर वहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना। दिल्ली फ्लैट पर पहुँचने पर हमारे द्वारा आर्यन को खर्चे के लिये ठगी के माल में से 10 हजार रूपये भी दिये गये थे।

पूछताछ मे इन्होने यह भी बताया कि हमने ऐसे ही एक घटना वसुन्धरा थाना इन्द्रापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद मे भी 14.05.2025 को कारित की थी, जिसमें हमने एक फॉरन करेंसी एक्सचेंज करने वाले दुकानदार को ऐसे ही किराये पर लिये गये मकान पर बुलाकर उसे चकमा देकर उसके पास से 8,000 दिरहम ठग कर दोनो फरार हो गये थे। इस घटना के सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि थाना इन्द्रापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद पर अभियोग लिखा गया है। अन्य ठगी की घटनाओं के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अजय कुमार शर्मा उर्फ अजय कुमार अग्रवाल उर्फ अज्जू पुत्र स्व0 ऋषिपाल शर्मा नि0 म0न0 86 वंशुन्धरा सेक्टर-01 थाना इन्द्रापुरम जिला गाजियाबाद मूल पता ग्राम घिटौरा थाना लोनी जिला गाजियाबाद, उम्र 48 वर्ष
2. मुकुल शर्मा पुत्र अजय शर्मा नि0 म0न0 86 वंशुन्धरा सेक्टर-01 थाना इन्द्रापुरम जिला गाजियाबाद मूल पता ग्राम घिटौरा थाना लोनी जिला गाजियाबाद, उम्र 25 वर्ष (घायल)
3. आकाश उपाध्याय पुत्र स्व देवदत्त उपाध्याय नि0 टाईप 2 बी, सैक्टर 20 नोएडा मूल पता नरैइया पुरा थाना फूल पहाड जिला महोबा उत्तर प्रदेश, उम्र 24 वर्ष (घायल)
4. आर्यन यादव पुत्र प्रदीप कुमार यादव नि0 के-11 मोहन गार्डन पीपल रोड नवादा दिल्ली, उम्र 25 वर्ष

- **अभियुक्त मुकुल शर्मा का आपराधिक इतिहास--**

1. मु0अ0सं0 255/25 धारा 103(1)/318(3)/317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24 नोएडा
2. मु0अ0सं0 257/25 धारा 109/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-24 नोएडा
3. मु0अ0सं0 398/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24 नोएडा
4. मु0अ0सं0 458/25 धारा 318(3)/317(2) बीएनएस थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद

- **अभियुक्त आकाश उपाध्याय का आपराधिक इतिहास--**

1. मु0अ0सं0 255/25 धारा 103(1)/318(3)/317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24 नोएडा
2. मु0अ0सं0 257/25 धारा 109/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-24 नोएडा
3. मु0अ0सं0 398/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24 नोएडा
4. मु0अ0सं0 458/25 धारा 318(3)/317(2) बीएनएस थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी की एक मोटर साईकिल बरामद
2. एक पिस्टल .32 बोर मय एक खोखा कारतूस .32 बोर व दो जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद
3. एक तमंचा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।
4. कुल 4,00,000 रुपये नगद (भारतीय मुद्रा) बरामद।
5. कुल 9,900 कनाडाई करेंसी (भारतीय मुद्रा कीमत 6,27,758 रुपये) बरामद।
6. कुल 30 दिरहम युनाईटिड अरब सैन्ट्रल बैंक
7. एक बैग चोरी का व एक अन्य बैग काला रंग जिसमे घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा पहने गये कपडे जिसमे एक जीन्स पैन्ट मय बैल्ट, एक कमीज, एक लोवर, एक टी-शर्ट खून आलूदा।
8. दो मोबाईल फोन बरामद।